


को आगे औरकार रखना उचित नही
समझला है। अतः शर्चना पत्र को खारिज
किया जाता है। पत्रावली केवल कुमार
होकर नम्बर से कम ही जावे। निर्णय
आज दिनांक 21-3-2022 को सेरे वजलात
सुनाया गया।



उप सपड अधिकारी
मांगरोल जिला कारी (सपड)